दिनांक–24.02.2026 को विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति संबंधी आयोजित बैठक की कार्यवाहीः–

---

1. बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों की सूची निम्नवत् हैः–
   (1) श्री मनोज कुमार, सचिव
   (2) श्री नवीन कुमार सिंह, निदेशक
   (3) श्री आदित्य प्रकाश, अपर सचिव
   (4) श्री नजर हुसैन, अपर सचिव
   (5) श्री शम्स जावेद अंसारी, संयुक्त सचिव
   (6) श्री गोविंद चौधरी, उप सचिव
   (7) मो0 वसीम अहमद, विशेष कार्य पदाधिकारी
   (8) श्री ललित राही, विशेष कार्य पदाधिकारी
   (9) श्री आशुतोष कुमार, प्रोजेक्ट लीड

2. विकास आयुक्त, बिहार द्वारा सर्वप्रथम बैठक में सम्मिलित सभी पदाधिकारियों का स्वागत कर बैठक की कार्रवाई प्रारम्भ की गयी।

3. विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न कार्यों की समीक्षा के क्रम में निम्नांकित निदेश दिये गयेः–

I. विभाग की महत्वपूर्ण कार्यक्रमों/योजनाओं की प्रगति की अद्यतन स्थिति :–

A. पंचायत सरकार भवनः–

बिहार के सभी जिलों में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या–8053 है, जिसमें निर्मित पंचायत सरकार भवनों की संख्या–2677, निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों की संख्या–3330 तथा 1936 पंचायतो में पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया जाना शेष है। इस संबंध में प्रत्येक माह नियमित समीक्षा करने का निदेश दिया गया।

वर्ष 2025 में स्वीकृत ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कराये जाने वाले 1069 पंचायतों सरकार भवनों के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि तकनीकी सहायक द्वारा 736 पंचायतों का प्राक्कलन तैयार किया गया है जिसमें से मात्र 60 का ही मुख्य अभियंता, LAEO के द्वारा तकनीकी स्वीकृती प्रदान की गयी है। इस पर असंतोष व्यक्त की गयी तथा निदेश दिया गया कि LAEO के मुख्य एवं अधीक्षण अभियंता के साथ विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की जाए।

निर्मित पंचायत सरकार भवनों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं के संबंध में निदेश दिया गया कि प्रत्येक पंचायत सरकार भवन में बैंक एवं डाकघर दोनों संचालित होना चाहिए। इस संदर्भ में संबंधित बैंक एवं डाकघर के निदेशक से

समन्वय स्थापित करते हुए प्रत्येक पंचायत सरकार भवन में बैंक एवं डाकघर संचालित कराना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि LAEO, BCD एवं ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कराये जा रहे पंचायत सरकार भवन का Updated Progress Report पंचायत निश्चय सॉफ्ट पोर्टल पर Entry कराने हेतु संबंधित को निदेशित किया जाए।

(अनुपालनः—प्रशाखा—02)

B. मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजनाः—

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि राज्य में सोलर स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन लक्ष्य 11,73,740 है जिसके विरूद्ध अबतक कुल 9,62,766 लाईटों का अधिष्ठापन हो पाया है जबकि मार्च, 2026 तक सभी लक्षित सोलर स्ट्रीट लाईटों का अधिष्ठापन कार्य पूर्ण कर लिया जाना है। इस संबंध में पंचायती राज विभाग को निदेश दिया गया कि सोलर स्ट्रीट लाईट योजना की समीक्षा प्रत्येक सप्ताह DPRO, BPRO तथा एजेंसी प्रतिनिधि साथ करें। यह निदेश दिया गया है कि सोलर लाइट के रख—रखाव एवं गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए और साथ ही मार्च 2026 तक सभी कार्य पूर्ण करा लिया जाय।

(अनुपालनः—प्रशाखा—03)

C. 15वीं वित्त आयोगः—

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 15वीं वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि से जिला परिषद् के द्वारा मात्र 30.16%, पंचायत समिति के द्वारा 56.36% एवं ग्राम पंचायत के द्वारा 59.83% व्यय हुआ है, जो चिंतनीय है, जिसमें शत—प्रतिशत व्यय करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः—प्रशाखा—13)

D. षष्ठम राज्य वित्त आयोगः—

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि से जिला परिषद द्वारा प्राप्त राशि का मात्र 33.93%, पंचायत समिति को प्राप्त राशि का मात्र 65.21% एवं ग्राम पंचायत को प्राप्त राशि का मात्र 68.94% अभी तक व्यय किया गया है। जो चिंतनीय है, जिसमें शत—प्रतिशत व्यय करने का निदेश दिया गया।

बैठक में निदेश दिया गया कि सभी जिला परिष्द, सभी पंचायत समिति एवं सभी ग्राम पंचायत को 15वीं एवं षष्ठ्म राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत उपलब्ध राशि के आलोक में 100% प्रशासनिक स्वीकृति निर्गत कर कार्य प्रारंभ करना सुनिश्चित करेंगे। पाँच न्यूनतम व्यय करने वाले जिला परिषद को चिन्हित कर कार्रवाई की जाए।

(अनुपालनः— प्रशाखा—05)

लगातार.....

E. मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजनाः–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वर्तमान में कुल 1381 चयनित भूमि के विरूद्ध मात्र 194 पंचायतों मे ही तकनीकी सहायक द्वारा प्राक्कलन तैयार किया गया है जिसमें से मात्र 73 का ही तकनीकी स्वीकृती प्रदान की गयी है। निदेश दिया गया कि स्थानीय स्तर के LAEO के कार्यपालक अभियंता से प्राकल्लन तैयार कराकर निर्माण कार्य प्रारंभ करना सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालनः– प्रशाखा–02)

II. लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र की अद्यतन स्थितिः–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वर्ष 2023–24 तक कुल आवंटित राशि 28534.14 करोड़ के विरूद्ध अद्यतन स्थिति तक पंचायती राज विभाग द्वारा कुल 21624.93 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण–पत्र संग्रहण केन्द्र पर जमा किया जा चुका है। इस पर प्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा शेष राशि का शीघ्रता से समायोजन कराने का निदेश दिया गया।

साथ ही उपयोगिता प्रमाण–पत्र को ऑनलाईन करने हेतु NIC, Patna को e-panchayatbihar portal पर UC Module को 15.03.2026 तक पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः– प्रशाखा–07, U.C कोषांग एवं NIC, Patna)

III. RTPS:–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि RTPS centre पर उपलब्ध कुल 64 सेवाओं के तहत 01.10.2024 से 19.02.2026 तक कुल 24,25,310 आवेदनों का निष्पादन किया गया है, जो सराहनीय है।

(अनुपालनः– प्रशाखा–02)

अंत में उपस्थित सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

(मिहिर कुमार सिंह)
विकास आयुक्त,
बिहार

ज्ञापांकः–9प० / विविध–01–247 / 2023 / 3970 / पं०रा० पटना, दिनांक 6 / 3 / 2026

प्रतिलिपिः–सभी जिला पदाधिकारी, बिहार / सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, बिहार / सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार / सभी अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–सह–अपर जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार)
सचिव

लगातार.....

5&2

ज्ञापांकः—9प० / विविध—01—247 / 2023 / 3970 / पं०रा० पटना, दिनांक 6 / 3 / 2026
प्रतिलिपिः— सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव / निदेशक के आशुलिपिक / अपर सचिव के आशुलिपिक / सभी वरीय प्रभारी पदाधिकारी / सभी प्रभारी पदाधिकारी / सभी प्रशाखा पदाधिकारी / पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/3/26

(मनोज कुमार)
सचिव

ज्ञापांकः—9प० / विविध—01—247 / 2023 / 3970 / पं०रा० पटना, दिनांक 6 / 3 / 2026
प्रतिलिपिः—श्रीमती रंजना कुमारी, आई0टी0मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को भेजते हुए अनुरोध है कि उक्त पत्र सभी संबंधितों को ई—मेल करते हुए विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

2/3/26

(मनोज कुमार)
सचिव